

प्रेषक,

प्रशान्त मित्तल,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०-३, (एम०पी०, एम०एल०ए०)
बिजनौर।

सेवा में,

माननीय महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
बिजनौर।

विषय:- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना (OLD PENSION SCHEME) का विकल्प चयन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय, उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में सादर निवेदन निम्नवत् है कि प्रार्थी प्रशान्त मित्तल पुत्र श्री विजय कुमार, वर्तमान में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (कोर्ट सं०-३), (एम०पी०, एम०एल०ए०), जनपद-बिजनौर के पद पर कार्यरत है।

राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/X-2024/301(1)/2024 Dated 28-06-2024 के द्वारा ऐसे सरकारी सेवक, जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ है, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने सम्बन्धी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के विकल्प की व्यवस्था प्रदान की गयी है।

महोदय को सादर अवगत कराना है कि प्रार्थी उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में चयनित होने के पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अधीन सहायक अभियोजन अधिकारी-2002 के अन्तर्गत प्रार्थी की प्रथम नियुक्ति अभियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर आदेश दिनांक 28-03-2005 के अन्तर्गत हुई थी, जिसकी विज्ञप्ति संख्या-A-4/E-1/2002 है। उक्त नियुक्ति के अनुक्रम में प्रार्थी की सहायक अभियोजन अधिकारी के रूप में योगदान की तिथि 21-04-2005 है। उस समय प्रार्थी को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया गया था।

उपरोक्त सन्दर्भ में सादर निवेदन है कि उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद हेतु विज्ञापन, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के द्वारा विज्ञप्ति संख्या-A-2/E-1/2003 दिनांकित 15 नवम्बर, 2003 को निर्गत की गयी थी, जिसके अनुक्रम में प्रार्थी की नियुक्ति सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर उत्तर प्रदेश शासन विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या उ०प्र० शासन नियुक्ति अनुभाग-4, संख्या-2430/II-4-06-32 (1)2001 टी.सी.-1 लखनऊ दिनांक 26 मई, 2006 के द्वारा हुयी है। उक्त सन्दर्भ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-949/डी.आर. (एस)/2006, दिनांकित इलाहाबाद, जून 13, 2006 के अनुक्रम में प्रार्थी ने दिनांक 21-06-2006 को जनपद न्यायालय, मेरठ में न्यायिक मजिस्ट्रेट का पद भार ग्रहण किया था। वर्तमान में प्रार्थी अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) से आच्छादित है।

राज्य सरकार उत्तर प्रदेश वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-14/2024/ सा-3-243/दस-2024 /301(1)/2024 दिनांकित 28 जून, 2024 तथा शासनादेश संख्या- 20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांकित 11 जुलाई, 2024, के द्वारा अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) के स्थान पर पुरानी पेंशन प्रणाली का विकल्प चयन किये जाने की व्यवस्था प्रदान की गयी है जिसके अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत पत्रांक संख्या-9283/V11b-104/Admin D Section Dated: 08-07-2024 तथा पत्रांक संख्या-9691/1V- F 82 (Pension)/ Admin-(A) Dated: July, 16, 2024 के द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।


प्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक संख्या 10219/IV-F-82(पेंशन/Admin(A) दिनांकित 29 जुलाई 2024 के दिशा निर्देशानुसार पुरानी पेंशन प्रणाली के विकल्प के चयन हेतु प्रार्थना पत्र श्रीमान अपर महानिदेशक अभियोजन, उत्तर प्रदेश, गोमती नगर, लखनऊ को भी प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रति सादर अवलोकनार्थ संलग्न है।

ऐसे में प्रार्थी उपरोक्त शासनादेश तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत निर्देश के अनुपालन में अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) के स्थान पर **पुरानी पेंशन प्रणाली के विकल्प का चयन करता है**, जिसके लिए प्रार्थी शासनादेश संख्या-20/2024/सा-3-276/ दस-2024/301(1)/2024 दिनांकित 11 जुलाई, 2024 के अनुक्रम में निर्धारित प्रारूप पर विकल्प-पत्र प्रेषित कर रहा है।

अतः माननीय महोदय से विनम्र अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 1961 के अन्तर्गत प्रार्थी का **पुरानी पेंशन का विकल्प-पत्र** माननीय न्यायालय तथा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करने की कृपा करें। आपकी महान कृपा होगी।

सादर।

दिनांक-02-08-2024

भवदीय

(प्रशान्त मिस्तल)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं०-3, (एम०पी०,एम०एल०ए०),
बिजनौर।
J.O. Code-6174

संलग्नक-


- 1- विकल्प पत्र।
- 2- अभियोजन निदेशालय को भेजे गये प्रार्थना पत्र की प्रति।
- 3- सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर नियुक्ति आदेश की प्रति।
- 4- सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र की प्रति।
- 5- माननीय उच्च न्यायालय की अधिसूचना की प्रति।
- 6- न्यायिक मजिस्ट्रेट मेरठ के पद पर कार्य भार ग्रहण प्रमाण पत्र की प्रति।

प्रतिलिपि,

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 3- निदेशक, पेंशन, निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 6- जनपद न्यायालय बिजनौर।
- 7- संबंधित अधिकारी।

दिनांक-02-08-2024



(प्रशान्त मिस्तल)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं०-3, (एम०पी०,एम०एल०ए०),
बिजनौर।

कार्यालय, जनपद न्यायाधीश, बिजनौर।

पत्रांक संख्या-

दिनांक

माननीय महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को अग्रसारित।


District Judge
Bijnor-U.P.

शासनादेश संख्या 20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 11 जुलाई, 2024 का संलग्नक

विकल्प-पत्र

1 नाम	प्रशान्त मित्तल
2 वर्तमान पदनाम	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं० 3 (एम०पी०/एम०एल०ए०) बिजनौर।
3 वेतनमान	जे 5-1,44,840-1,94,660/- रूपये
4 वर्तमान विभाग का नाम	न्याय विभाग
5 राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम	अभियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
6 विज्ञप्ति की तिथि	31/12/2002 (विज्ञापन सं०-ए-4/ई-1/2002)
7 विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि	11-04-2005
8 योगदान की तिथि	21-04-2005
9 राज्य सरकार के अधीन वर्तमान नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम	न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश, द्वारा लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
10 विज्ञप्ति की तिथि	22-28 नवम्बर 2003, रोजगार समाचार (विज्ञापन सं०-ए-2/ई-1/2003)
11 विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि	26-05-2006
12 योगदान की तिथि	21-06-2006
13 जन्मतिथि	28-08-1977
14 सेवानिवृत्ति की तिथि	31-08-2037

मैं, प्रशान्त मित्तल पुत्र श्री विजय कुमार शासनादेश संख्या 14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाये।

हस्ताक्षर-

नाम- प्रशान्त मित्तल

पदनाम-अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश


कक्ष सं० 3 (एम०पी०/एम०एल०ए०)

बिजनौर।

घोषणा-पत्र

मैं प्रशान्त मित्तल पुत्र श्री विजय कुमार अपर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं० 3 (एम०पी०/एम०एल०ए०) बिजनौर यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त क्रम सं०-01 से 14 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर-


21/08/24

नाम- प्रशान्त मित्तल

पदनाम-अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

कक्ष सं० 3 (एम०पी०/एम०एल०ए०)

बिजनौर।

जे. ओ. कोड यू०पी० 6174

संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा।

श्री प्रशान्त मित्तल पुत्र श्री विजय कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं० 3 (एम०पी०/एम०एल०ए०) बिजनौर को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित किए जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति

प्रेषक,

प्रशान्त मित्तल,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०-३, (एम०पी०,एम०एल०ए०)
बिजनौर।

सेवा में,

श्रीमान अपर महानिदेशक,
अभियोजन, उ०प्र०
शालीमार टॉवर, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ।

द्वारा-

माननीय जनपद न्यायाधीश,
बिजनौर।

विषय-

उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद का नयी पेंशन योजना से आच्छादित होने के कारण पुरानी पेंशन योजना में शामिल किये जाने हेतु विकल्प दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में सादर निवेदन है कि वित्त (सामान्य) अनुभाग-३ द्वारा जारी शासनादेश संख्या-१४/२०२४/सा-३-२४३/दस-२०२४/३०१ (१)/२०२४ लखनऊ, दिनांकित २८ जून २०२४ एवं शासनादेश संख्या-२०/२०२४/सा-३-२७६ /दस-२०२४/३०१ (१)/ २०२४ लखनऊ, दिनांकित ११ जुलाई २०२४ के क्रम में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे कार्मिकों, जिनका चयन ऐसे पद/सिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने सम्बन्धी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक २८ मार्च २००५ के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

उपरोक्त के दृष्टिगत सादर अवगत कराना है कि मैं वर्तमान में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-३, (एम०पी०,एम०एल०ए०), जनपद बिजनौर के पद पर कार्यरत हूँ। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में मेरा चयन/नियुक्ति विज्ञापन संख्या-ए-२/ई-१-२००३, रोजगार समाचार २२-२८ नवम्बर २००३, विज्ञापित के सापेक्ष उ०प्र० शासन नियुक्ति अनुभाग-४ के आदेश संख्या-२४३०/II-४-०६-३२(१)२००१ टी०सी०-१ लखनऊ दिनांकित २६ मई २००६ से सिविल जज जूनियर डिवीजन के पद पर हुआ था। उक्त सेवा भी अद्यतन शासनादेश के अनुसार पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित हो रही है।

यह उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के अधीन मेरी प्रथम नियुक्ति सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर विज्ञापन संख्या-ए-४/ई-१/२००२ दिनांकित ३१-१२-२००२ के सापेक्ष गृह (पुलिस) अनुभाग-९ के कार्यालय ज्ञाप संख्या ६८६/छ-पु०-९-३१(१००)/२००४, दिनांकित २८ मार्च २००५ को हुई थी। मेरे द्वारा निदेशक अभियोजन उत्तर प्रदेश लखनऊ के आदेश संख्या-एक-दो-१३६-२००४/१८८९/०५, लखनऊ दिनांकित २९ मार्च २००५ के अनुपालन में दिनांक २१-०४-२००५ के पूर्वान्ह में सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर प्रशिक्षणार्थ पद भार ग्रहण किया था। अपर महानिदेशक अभियोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के आदेश संख्या-एक-दो-१३८-२००४/५५६८/२००५, दिनांकित ०३-१०-२००५ के अनुपालन में मैं प्रशिक्षणोपरान्त जनपद बागपत में कार्यरत रहा। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर चयनित होने के बाद अभियोजन निदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्रांक संख्या-एक-दो-ए०पी०ओ-कार्यमुक्त-२००६/४६२२/०६, दिनांकित १९-०६-२००६ के अनुपालन में दिनांक २०-०६-२००६ को अपरान्ह जनपद बागपत से कार्यमुक्त होकर माननीय उच्च न्यायालय की अधिसूचना संख्या-९४९/डी०आर०(एस)/२००६, दिनांकित १३-०६-२००६ के अनुपालन में दिनांक २१-०६-२००६ के पूर्वान्ह से जनपद मेरठ में न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर कार्यभार ग्रहण कर मैं लगातार न्यायिक सेवा में कार्य करते हुए वर्तमान में उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी के रूप कार्यरत हूँ।

नियमानुसार उत्तर प्रदेश शासन के सुसंगत शासनादेशों के क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर दिनांक २१-०४-२००५ से दिनांक २०-०६-२००६ तक की सेवाओं का लाभ मिलने की प्रत्याशा में मेरे द्वारा पूर्व में ही सहायक अभियोजन अधिकारी के रूप में दी गयी

सेवा को न्यायिक सेवा में आगणित किये जाने हेतु प्रत्यावेदन किया गया था, जिसे निस्तारण नियुक्ति अनुभाग-4 के पत्रांक संख्या-1574/दो-4-08-23(7)/07 दिनांकित 08 मार्च 2010 के द्वारा नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के लागू होने के कारण निस्तारित किया जा चुका है।

प्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक संख्या 10219/IV-F-82(पेंशन/Admin(A) दिनांकित 29 जुलाई 2024 के दिशा निर्देशानुसार पुरानी पेंशन प्रणाली के विकल्प के चयन हेतु प्रार्थना पत्र अपनी प्रथम नियुक्ति के विभाग, अभियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश को प्रेषित कर रहा है।

ऐसे में प्रार्थी उपरोक्त शासनादेशों के अन्तर्गत अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) के स्थान पर **पुरानी पेंशन प्रणाली के विकल्प का चयन करता है**, जिसके लिए प्रार्थी शासनादेश संख्या-20/2024/सा-3-276/ दस-2024/301(1)/2024 दिनांकित 11 जुलाई, 2024 के अनुक्रम में निर्धारित प्रारूप पर विकल्प-पत्र प्रेषित कर रहा है।

अतः माननीय महोदय से विनम्र अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 1961 के अन्तर्गत प्रार्थी का **पुरानी पेंशन के विकल्प-पत्र** के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें। आपकी महान कृपा होगी।

सादर।

भवदीय

(प्रशान्त मित्तल)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं०-3, (एम०पी०, एम०एल०ए०),
बिजनौर।

JO Code-6174

संलग्नक-

- 1- विकल्प पत्र।
- 2- सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर नियुक्ति आदेश की प्रति।
- 3- अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने सम्बन्धी आदेश की प्रति।
- 4- सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र की प्रति।
- 5- माननीय उच्च न्यायालय की अधिसूचना की प्रति।
- 6- न्यायिक मजिस्ट्रेट मेरठ के पद पर कार्य भार ग्रहण प्रमाण पत्र की प्रति।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- श्रीमान महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 3- अपर मुख्य सचिव नियुक्ति अनुभाग-4, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 4- प्रमुख सचिव, गृह अनुभाग-9, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 5- जनपद न्यायालय बिजनौर।
- 6- संबंधित अधिकारी।

Forwarded

~~District Judge
Bijnor-U.P.~~

(प्रशान्त मित्तल)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं०-3, (एम०पी०, एम०एल०ए०),
बिजनौर।

अभियोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
लक्ष्मी काम्पलेक्स, विभूति खण्ड,
गोमती नगर लखनऊ ।

पत्रांक: एक-दो-136-2004 / 1869 / 05 लखनऊ दिनांक: 29 मार्च, 2005

श्री - प्रशान्त मित्तल

पता - द्वारा श्री 250000 मित्तल

म0नं0-57 द्वारिकापुरी, गली नं0-6 मुजफ्फरनगर
उत्तर प्रदेश ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश शासन के गृह (पुलिस) अनुभाग-9 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-868/उ-पु0-9-31(100)/2004 दिनांकित-28 मार्च, 2005 के द्वारा आपको सहायक अभियोजन अधिकारी वेतनमान क्र० 8500-200-10500 में अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान की गई है।

2- आपको डा0 भीम राव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद में अपने समस्त मूल शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के साथ दिनांक-11.4.2005 को पूर्वान्ह में अवश्य कार्यभार ग्रहण करना है। यदि निर्धारित अवधि तक आप कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं और न ही आपसे समय बढ़ाने के लिए ठोस कारण दर्शाते हुए कोई प्रार्थना-पत्र उस अवधि के अन्दर प्राप्त होता है तो उक्त तिथि के बाद से आपका अभ्यर्थन स्वयंमैव समाप्त हो जायेगा।

3- डा0 भीम राव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद में प्रशिक्षण हेतु कार्यभार ग्रहण करने हेतु आपको कोई यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

4- आपको वेतन के अतिरिक्त शासन द्वारा अनुमन्य भत्ता मंहगाई भत्ता व समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्ते देय होंगे।

5- कार्यभार ग्रहण करते समय आपको निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे:-

- 1- ओथ आफ एलिजियन्स संबंधी प्रमाण-पत्र।
- 2- गोपनीयता संबंधी प्रमाण-पत्र।
- 3- चल,अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
- 4- विवाहित होने की दशा में एक पत्नी/पति होने का प्रमाण-पत्र।
- ✓ 5- दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र।

दिनांक-11.4.2005 से डा0 भीम राव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद में आपका 6 माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्रारम्भ होगा, जिसके लिए कृपया आप 2 नेकर (सफेद), 2 टीशर्ट कालरदार (सफेद), 2 पैट (सफेद), 2 सफेद कमीज, एक काली टाई, एक जोड़ी ब्लेक शूज, व एक जोड़ी पी0टी0 शूज सफेद, 2 जोड़ी सफेद भोजे व विस्तर व कम से कम रूपया 3000/- की धनराशि मेंस एडवान्स हेतु व अन्य खर्चा हेतु अलग से लेकर आये।

.....2/

प्रभार प्रमाण पत्र

पत्रसंख्या-प-449/2005/

दिनांक: अप्रैल 21, 2005

प्रमाणित किया जाता है कि सहायक अभियोजन अधिकारी (परि०) डा० भीमराव आंबेडकर पुलिस अकादमी, ३० प्र० मुरादाबाद का पदाधिकार निदेशक अभियोजन ३० प्र० लखनऊ के आदेश संख्या एक-दो-136-2004/1869/05 दिनांकित 29-3-2005 को जारी किया कि यहाँ व्यक्त किया गया है, दिनांक: अप्रैल 21, 05 के पूर्वान्ह/अप्रान्ह में हस्तान्तरित किया गया।

प्रमाणित किया

(सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु आगमन करने का फलस्वरूप)

सोचक अधिकारी

(प्रशान्त मिश्रा)
21/4/05

प्रतिहस्ताक्षरित

(21/4/05)
अध्यक्ष विधि संकाय

डा० भीमराव आंबेडकर पुलिस अकादमी
३० प्र० मुरादाबाद।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण ३० प्र० लखनऊ।
- 2-अपर निदेशक अभियोजन, ३० प्र० लखनऊ।
- 3-संयुक्त निदेशक मुरादाबाद, परिक्षेत्र मुरादाबाद।
- 4-कोषाधिकारी मुरादाबाद।
- ✓ 5-संबंधित अधिकारी।
- 6-कार्यालय प्रति।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

NOTIFICATION

DATED: ALLAHABAD: June 13, 2006

No. 947 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri **Vikas Goyal**, Candidate Civil Judge, Junior Division is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Farrukhabad in the vacant court.

No. 948 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 **Susri Tanya Singh**, Candidate Civil Judge, Junior Division is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Hardoi in the vacant court.

No. 949 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri **Prashant Mittal**, Candidate Civil Judge, Junior Division is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Meerut in the vacant court.

No. 950 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 **Susri Shelly Roy**, Candidate Civil Judge, Junior Division is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Hathras in the vacant court.

No. 951 /DR(S)/2006

Sri Bhoopendra Rai, Additional Civil Judge, Junior Division, Allahabad is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Allahabad in the vacant court.

No. 952 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri **Sanjeev Kumar Singh**, Candidate Civil Judge, Junior Division is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Allahabad in the vacant court.

No. 953 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1, dated 26.5.2006 Sri **Kamlesh Kumar Pathak**, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Allahabad.

No. 954 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri **Hitendra Hari**, Candidate Civil Judge, Junior Division is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Mau in vacant court.

प्रभार-प्रमाणपत्र

प्रकाशित किया जाता है कि न्यायालय इंडियन मैजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या-3 मेरठ का कार्य प्रभार उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश संख्या 2430/द्वितीय-4-2006-321 II/2006 डी. सी. -1 दिनांक 26.5.2006 एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की विधि संख्या 949/डी. आर। स्टा।/2006 दिनांक 13.6.2006 तथा माननीय जनपद न्यायाधीश मेरठ के आदेश दिनांक 14.6.2006 के अनुसार मैं आज दिनांक 21-06-06 के पूर्वार्ध में ग्रहण किया गया।

मुख्य अधिकारी

19 शाब्द मित्तल

प्र सिद्धांतरित

Duma
21/6/06
जनपद न्यायाधीश
जिला न्यायाधीश

संख्या: 732 F/Z

मेरठ दिनांक: 21-6-06

इतिविधि निम्न विधि को सुचारु रूप से आचरण के लक्ष्य में है प्रेषित:-

1. महा निबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
2. संयुक्त निबन्धक कम्यूटर, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
3. ज्ज निबन्धक सचिवीय माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
4. मुख्य अधिकारी, नियुक्ति अनुभाग-4, उच्च न्यायालय, लखनऊ।
5. मुख्य निदेशक, कोषागार निदेशालय, उच्च न्यायालय कोषागार भवन, इलाहाबाद।
6. मुख्य कोषाधिकारी, मेरठ।
7. प्रमुख निदेशक अधिकारी।

MV
व सिद्धांतरित मुख्य अधिकारी
जनपद न्यायालय, मेरठ।